अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

एक ठोस आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों-प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता अच्छे प्रशासन के लक्ष्णों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार की रणनीतिक योजना तथा निर्णयीकरण सहित इसकी मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होती है। यह अध्याय वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 भुगतित अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

बिहार वित्तीय नियम (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 341 के अनुसार, जब तक सरकार किसी संदर्भ में अन्यथा निर्देशित न करे, अनुदान की स्वीकृति के प्रत्येक आदेश में उद्देश्य जिसके लिए वह दिया गया और अनुदान से जुड़े सभी शर्तों, यदि कोई हो, का स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। नियमावली के नियम 342 के नीचे टिप्पणी 2 के अनुसार यदि वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिये गये हो, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त कर लिया जाना चाहिए एवं जाँचोपरांत उनकी स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर इसे महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड को अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 31 मार्च 2012 तक भुगतित कुल ₹ 4640.48 करोड़ के अनुदानों से संबंधित 4299 उ.प्र.प. 30 जून 2013 तक अप्राप्त थे जैसा **तालिका 3.1** में दिखाया गया है। इन उ.प्र.प. का एक बड़ा भाग चार विभागों यथा शहरी विकास विभाग (कुल ₹ 1070.10 करोड़ के 2905 उ.प्र.प.), उद्योग विभाग (कुल ₹ 575.68 करोड़ के 82 उ.प्र.प.), मानव संसाधन विकास विभाग (कुल ₹ 252.95 करोड़ के 47 उ.प्र.प.) एवं सहकारिता विभाग (कुल ₹ 157.03 करोड़ के 100 उ.प्र.प.) के नामे था। बकाया उ.प्र.प. का विभागवार विभाजन ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (30.06.2012 को)

वर्ष जिसमें अनुदान वितरित हुए	वर्ष जिसमें उ.प्र.प बकाये थे	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2008-09 तक	2009-10 तक	1342	1061.66
2009-10	2010-11	997	675.48
2010-11	2011-12	1080	1349.00
2011-12	2012-13	880	1554.34
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या		4299	4640.48

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2012-13)

वृहत राशि के उ.प्र.प. की अप्राप्ति, निर्धारित उद्देश्यों हेतु अनुदानों की उपयोगिता ससमय सुनिश्चित करने की प्रक्रियाओं एवं नियमों के अनुपालन में, विभागीय अधिकारियों की विफलता को इंगित करता है।

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों का लेखापरीक्षा एवं लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.2.1 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (सी.ए.जी. का डी.पी.सी.अधिनियम) की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने वाले संस्थानों/संगठनों को पहचानने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य एवं संस्थानों के कुल व्यय के बारे में एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 बतलाता है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष, जो संस्थाओं/प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण संस्वीकृत करते हैं, को प्रत्येक वर्ष जुलाई तक (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गयी थी एवं (ग) निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित करते हुए उन निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें ₹ दस लाख या अधिक के अनुदानों तथा/या ऋणों का भुगतान किया गया हो, की एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को सौंपेगें। अगस्त 2013 तक, सरकार के किसी विभाग ने वर्ष 2012-13 के लिए ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, राज्य के वार्षिक लेखों से एकत्रित सूचना के आधार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा पहचान किये गये 85 निकायों/संस्थानों में से 67 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा विभिन्न अवधियों में की गई (2011-12 तक 37 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई), जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य और कुल व्यय संबंधी सूचनाओं के अप्रस्तुतीकरण के कारण विधानमंडल/सरकार को उन तरीकों जिनमें उनके द्वारा स्वीकृत/भुगतित अनुदानों का उपयोग किया गया, के बारे आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं था। यह सरकारी व्यय पद्धति में नियंत्रण को विरल बनाता है।

3.2.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे तीन स्वायत्त निकाय[1] है जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्त्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं का परीक्षण, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का आयोजन, आन्तरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा से संबंद्ध लेखापरीक्षा की जाती है।

8 अप्रैल 2013 को वर्ष 2008-09 के 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) जारी किये गये। विधानमंडल में इसके उपस्थापन को सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 के लेखाओं का लेखापरीक्षा किया गया एवं सितम्बर 2013 में एस.ए.आर. मसौदा सदस्य सचिव, झालसा को जारी किया गया।

प्राप्त जवाबों (अक्टूबर 2013) के आधार पर एस.ए.आर. मसौदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगति पर है (नवम्बर 2013)। वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लेखे प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2013)।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.इ.आर.सी.) के लेखाओं का लेखापरीक्षा पूरा किया जा चुका है एवं वर्ष 2011-12 तक एस.ए.आर. जारी किया जा चुका है। तथापि, वर्ष 2003-04 से वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के सम्मुख उनके (एस.ए.आर.) उपस्थापन की स्थिति नवम्बर 2013 तक सूचित नहीं की गयी है। वर्ष 2012-13 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम के अनुच्छेद 22 के अनुसार रिम्स का लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा किया जाना है। तदनुसार, रिम्स के लेखाओं की लेखापरीक्षा का दायित्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी.पी.सी. अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सौपा गया जिसे अक्टूबर 2009 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वीकार किया गया था। तथापि, सक्रिय अनुनय के बावजूद नवम्बर 2013 तक वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा को नहीं सौपें गए।

---

[1] (i) झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित, (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.इ.आर.सी.) एवं (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)।

3.3 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक विपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड कोषागार संहिता (झ.को.स.) खण्ड-1 एवं खण्ड-2 के नियम 318 एवं प्रपत्र संख्या-38 के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्र में यह सत्यापित करना होता है कि उनके द्वारा वर्तमान माह की प्रथम तारीख से पहले आहरित किए गए सभी आकस्मिक अधिशेषों के विस्तृत विपत्रों को नियंत्री अधिकारी के पास प्रतिहस्ताक्षर हेतु एवं वहाँ से आगे महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड, राँची को आगे के संचरण हेतु भेजा जा चुका है। 11 नवम्बर 2013 तक ₹ 5243 करोड़ मूल्य के बकाया विस्तृत विपत्रों को छोड़कर वर्ष 2000-13 के दौरान आहरित कुल ₹ 14468 करोड़ के आकस्मिक संक्षिप्त विपत्रों के विरूद्ध कुल ₹ 9225 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्राप्त हुए। वर्ष-वार ब्यौरे **तालिका 3.2** में दिये गये है।

तालिका 3.2 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक विपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.सी. विपत्रों की सं0	ए.सी.विपत्रों की राशि	सौंपे गए डी.सी.विपत्रों की सं0	डी.सी.विपत्रों की राशि	ए.सी.विपत्र की *प्रतिशतता* में डी.सी. विपत्र	बकाया ए.सी. विपत्रों की सं0	डी.सी. विपत्रों की बकाया राशि
2010-11	52473	11943	29100	7720	65	23373	4223
2011-12	1052	1600	282	1164	73	770	436
2012-13	544	925	104	341	37	440	584
कुल	**54069**	**14468**	**29486**	**9225**	**64**	**24583**	**5243**

तालिका 3.2 में दिये अनुसार, वर्ष 2000-13 के दौरान आहरित कुल ए.सी. विपत्रों के विरूद्ध प्राप्त हुए डी.सी. विपत्रों की राशि 11 नवम्बर 2013 तक 64 *प्रतिशत* थी। प्रमुख गैर-जिम्मेवार विभाग ग्रामीण विकास विभाग (₹ 1237 करोड़), मानव संसाधन विकास विभाग (₹ 534 करोड़), कल्याण विभाग (₹ 760 करोड़) तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 399 करोड़) थे। पिछले वर्ष के 73 *प्रतिशत* की तुलना में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रस्तुतीकरण 2012-13 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा आहरित राशि का केवल 37 *प्रतिशत* था। विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण संबंधित वर्ष के दौरान राज्य का व्यय संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा प्राप्त अग्रिम की सीमा से अधिक बताया गया।

3.4 दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन

झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत बिहार वित्तीय नियम का नियम 31 बतलाता है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, स्टोर या अन्य सम्पति के गबन या अन्य कारणों से हुई क्षति की तत्काल सूचना, इस क्षति के लिए जिम्मेदार दलों द्वारा क्षतिपूर्ति कर लिये जाने की स्थिति में भी, कार्यालय द्वारा उच्चतर अधिकारियों, वित्त विभाग

सहित प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को दी जानी चाहिए। जैसे ही क्षति होने का संदेह हो, उसकी सूचना अवश्य रूप से दिया जाना चाहिए, जाँच प्रगति पर होने की स्थिति में भी इनमें बिल्कुल भी देरी नहीं की जानी चाहिए।

जून 2013 में लेखापरीक्षा द्वारा इस संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने के लिए किए गए अनुरोध के जवाब में, वित्त विभाग ने जुलाई 2013 में सभी विभागों को एक पत्र लिखा, जिसमें सभी डी.डी.ओ. को तत्संबंधी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया। इस संदर्भ में 18 डी.डी.ओ. ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड को निरंक (शून्य) रिपोर्ट भेजा एवं एक डी.डी.ओ. (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडु) ने ₹ 21.90 लाख (2008 में हुए ₹ 1.50 लाख एवं 2010 में हुए ₹ 20.40 लाख) के दुर्विनियोग का रिपोर्ट भेजा। ये मामले न्यायालय में लंबित है।

3.5 निधि आहरित कर बैंक खाते/पी.एल. खाते में रखना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि की निकासी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक इसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से पूर्वानुमानित माँगों हेतु अग्रिम का आहरण, उस कार्य के क्रियान्वयन के लिए जिसके सम्पादन में अधिक समय लगने की सम्भावना हो, अनुमान्य नहीं है। आगे, वित्तीय नियम सरकारी धन को सरकारी खातों से अलग रखने का निषेध करती है।

(i) यह देखा गया कि मार्च 2013 के अंतिम तीन कार्य दिवस को ₹ 209.23 करोड़ की राशि बिना किसी उप-विपत्र के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों एवं पूर्ण व्हाउचर आकस्मिक विपत्रों के द्वारा आहरित किये गए तथा बैंक खातों में रखे गए। ए.सी.विपत्रों द्वारा हुए इन आहरणों के समायोजन में विस्तृत आकस्मिक विपत्र एवं पूर्ण व्हाउचर आकस्मिक विपत्रों पत्र के समर्थन में उप-विपत्र संबंधित विभागों द्वारा जून 2013 तक महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्राप्त नहीं कराये गये हैं। ग्रामीण विकास (₹ 102.22 करोड़), कृषि (₹ 21.72 करोड़), मानव संसाधन विभाग (₹ 16.03 करोड़), गृह (₹ 8.32 करोड़) एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (₹ 6.28 करोड़) विभाग प्रमुख गैर-जिम्मेदार विभाग हैं।

(ii) वर्ष 2012-13 के लिए प्रमुख लेखा शीर्ष 8448-सिविल जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष के लेन-देनों से संबंधित वाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकरण (वी.एल.सी.) के आँकड़ों तथा वित्त लेखे की समीक्षा से पता चला कि राज्य में 95 व्यक्तिगत बही खाता था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पी.एल.खाते के अधीन अंत शेष सतत रूप से बढ़ती जा रही थी, जैसा कि **तालिका 3.3** में दिखाया गया है।

तालिका 3.3: व्यक्तिगत बही खाता निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2010-11	1457.58	1940.34	1670.78	1727.14
2011-12	1727.14	2248.95	1782.95	2193.14
2012-13	2193.14	3110.78	2349.49	2954.43

अतएव, सरकारी धनराशियों को व्यपगत होने से बचाने के लिये उसका आहरण करना तथा विधान मंडल द्वारा मंजूर किये गये बजट की राशि को उस वित्तीय वर्ष के अलावे दूसरे वर्षों में व्यय हेतु बैंक खाते/पी.एल.खाते में रखा जाना न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन था बल्कि राज्य के बजटीय नियंत्रण की विफलता को भी बढ़ावा दिया। इसके अलावा, बैंक में रखे गए धनराशि के गलत प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता।

3.6 खुफिया सेवा निधि के प्रशासनिक लेखा परीक्षा का बकाया प्रमाणपत्र

बिहार वित्तीय नियमावली, यथा झारखण्ड द्वारा अंगीकृत, के अनुलग्नक-'क' के परिशिष्ट-5 में दिए प्रावधानों के अनुसार, खुफिया सेवा व्यय हेतु अधिकृत अधिकारी के लिये सरकार एक नियंत्रक अधिकारी को नामित करेगा जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार किये गये व्यय का प्रशासनिक लेखापरीक्षा करेगा एवं उस वर्ष के अनुवर्ती वर्ष में 31 अगस्त तक एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार को सौंपेगा।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अभिलेखों से यह पाया गया कि वर्ष 2005-06 से वर्ष 2011-12 के दौरान पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक ने खुफिया सेवाओं के अंतर्गत ₹ 21.70 करोड़ खर्च किए, जिसके विरूद्ध वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक के ₹ 6.40 करोड़ के प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय में प्राप्त थे जबकि वर्ष 2005-06 (₹ 8.30 करोड़), वर्ष 2007-08 (₹ 4.50 करोड़), एवं वर्ष 2008-09 (₹ 2.50 करोड़) से संबंधित ₹15.30 करोड़ के प्रमाण-पत्र अक्टूबर 2013 तक बकाये थे। इस संदर्भ में महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के द्वारा सतत पत्राचार किए जाने के बावजूद, संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्र नहीं प्रदान किए गए। अतएव, ₹ 15.30 करोड़ के व्यय की वैधता नहीं बतायी जा सकी है।

3.7 निष्कर्ष

राज्य संस्थानों/निकायों द्वारा ₹ 4640.48 करोड़ के सहायता अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जो राज्य सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं कार्यदक्षता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने से बाधित किया।

सरकारी विभागों ने अनुदान ग्राही निकायों के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत नहीं किया। स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के सम्मुख ससमय प्रस्तुत नहीं किये गये।

वर्ष 2000-13 की अवधि के ₹ 5243 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र 11 नवम्बर 2013 तक बकाये थे क्योंकि इनके विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन दिनों में ए.सी. विपत्रों द्वारा आहरित ₹ 209.23 करोड़ की राशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए बैंक खाते में रखा गया। मार्च 2013 के अंत में व्यक्तिगत बही खाता में एक विशाल अंतशेष (₹ 2954.43 करोड़) था। चालू वर्ष के लिए विधानमंडल द्वारा पास किये गए बजटीय निधि का अगले वर्ष/वर्षों के व्यय के लिए पी.एल. खाते में हस्तांतरण अनियमित था।

3.8 अनुशंसाएँ

- अनुदानग्राही संस्थाओं को जारी किये गये अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ससमय प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए।
- संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा आहरणों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र राज्य के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- बैंक खातों तथा पी.एल. खातों में निधियों के एकत्रीकरण से बचा जाना चाहिए एवं निधियों का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

मृदुला सप्रू

राँची **(मृदुला सप्रू)**

दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

शशी कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**